

वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2020-21



छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग



वार्षिक लेखा प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2020–21

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020–21

विषय—सूची

शीर्षक	पृष्ठ क्र.
आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण	: 1–1
<u>परिशिष्ट</u>	
वित्तीय वर्ष 2020–21 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण, लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन	: 2–22

आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2020-21

1 आयोग की निधि

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि, ऋण एवं आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है।

इस निधि का उपयोग "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम, 2007 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

2 आयोग के लेखाओं, बजट एवं लेखा संपरीक्षा नियम

आयोग के लेखाओं का संधारण, बजट की प्रस्तुति एवं लेखा संपरीक्षा(ऑडिट) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित नियम जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 06 जुलाई 2007 को "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के नाम प्रकाशित हो चुका है, के द्वारा संचालित होते हैं। उक्त नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य संस्था को लेखा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उक्त नियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आने वाले वर्ष का संभावित बजट अनुमान राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जा चुका है एवं वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान 2022-23 शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

3 वित्तीय वर्ष 2020-21 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण एवं महालेखाकार, छ.ग. द्वारा जारी संपरीक्षा प्रमाण पत्र इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में है।

4 वित्तीय वर्ष 2020-2021 का रोकड़ विवरण निम्नानुसार है:-

प्रारंभिक रोकड़ (दिनांक 01.04.2020)	—	रु. 3,35,27,909.46 /—
(जो कि दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतिम रोकड़ था)		
अंतिम रोकड़ (दिनांक 31.03.2021)	—	रु. 5,51,00,616.66 /—

परिशिष्ट



No. (CAG)/S-2/A-23/CSERC/2020-21/F-1080/D-731

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of Principal Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur

दिनांक

Date : 13.04.2022

प्रति,

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

सिंवाई कालोनी, न्यू शांति नगर,

रायपुर (छ0ग0) 492001

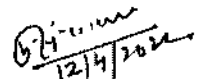
विषय: 31 मार्च 2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को समाविष्ट कर प्रकाशित वार्षिक लेखों की छः प्रतियाँ वार्षिक सामान्य सभा (AGM) के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त AGM कार्यवाही विवरण की एक प्रति सहित इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

संलग्नक यथापरी।

भवदीय,


वरि. उप महालेखाकार
(ए.एम.जी.-II)

पोस्ट - मांडर, जीरो प्वाइंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)

Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)

फोन/Phone : 2582082 • फैक्स/Fax : 2582505 • ई-मेल/Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF CHHATTISGARH STATE
ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR THE YEAR ENDED
31 MARCH 2021**

We have audited the attached Balance Sheet of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Commission) as at 31 March 2021 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account for the year ended on that date under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003 and section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971. These Financial Statements are the responsibility of the Commission's management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.

This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms and other significant audit observations with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity nature) etc., noticed during the audit of Financial Statements, if any. Audit observations relating to compliance with Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are also reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account dealt with by this report are drawn up in the format approved by the Chhattisgarh State Government in consultation with the CAG under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003.

- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Commission as required under Section 104(1) of the Electricity Act, 2003 in so far as it appears from our examination of such books.

We further report that:

A. Comments on accounts

Balance Sheet

Assets

Sundry Debtors (Schedule -F) ₹ 1.74 lakh

1. Above does not include ₹ 17.70 lakh incurred towards consultancy fees which was recoverable from the State Power Companies as per “Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges) Regulations, 2009”. This has resulted in understatement of Sundry Debtors as well as excess of Income over Expenditure by ₹ 17.70 lakh.

B. Comments on Profitability

Income and Expenditure Account

Income

Commission/Fees, Penalty - ₹ 6.73 crore.

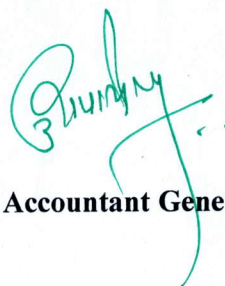
2. As per the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges) Regulations, 2009 (Regulations) every distribution licensee was required to pay an annual license fee at the rate of 0.04 *per cent* of the revenue from sale of power. Accordingly, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) was required to deposit license fee amounting to ₹ 16.86 crore (₹ 5.68 crore, ₹ 6.19 crore and ₹ 4.99 crore) with CSERC for the years 2017-18, 2018-19 and 2020-21 respectively. As against this, CSPDCL had deposited the license fee of ₹ 13.88 crore (₹ 4.73 crore, ₹ 4.55 crore and ₹ 4.60 crore for the years 2017-18, 2018-19 and 2020-21 respectively). Thus, the balance amount of ₹ 2.98 crore (₹ 0.95 crore for 2017-18, ₹ 1.64 crore for 2018-19 and ₹ 0.39 crore for 2020-21) should have been recognised as receivable from CSPDCL in the financial statements for the year 2020-21. This has resulted in understatement of Other Current Assets and excess of Income over Expenditure by ₹ 2.98 crore.
- iv. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

- v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in *Annexure* to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2021; and
- b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of
the Comptroller & Auditor General of India**

Place: Raipur

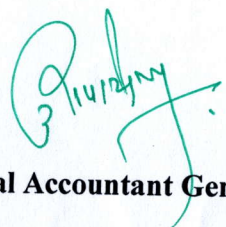
Date:



Principal Accountant General (Audit)

Annexure to Separate Audit Report

1. **Adequacy of Internal Control System:** Internal control system is inadequate and not commensurate with the size and nature of the Commission.
2. **Adequacy of Internal Audit System:** As per Rule 9 (b) of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules, 2007 "Internal audit of the Commission shall be entrusted to a person of the Commission designated by the Chairperson or to a firm of Chartered Accountants" however, Commission had not appointed the internal auditor for the year 2020-21. Thus, no internal audit of the Commission was conducted for the year 2020-21.
3. **System of Physical verification of fixed assets:** The Physical Verification of the Fixed Assets has not been conducted during the year 2020-21. In the absence of Physical Verification, the existence of fixed assets mentioned in accounts could not be vouchsafed in audit.
4. **System of Physical verification of inventory:** The Commission does not have any inventory as it is not a manufacturing or trading entity.
5. **Regularity in payment of statutory dues:** The Commission is regular in depositing undisputed statutory dues.



Principal Accountant General (Audit)

प्रारूप-क

(देखिये नियम 6)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2020 से 31.03.2021)

गत वर्ष (₹)	प्राप्तियाँ	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	भुगतान	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
18595.00	1. प्रारम्भिक शेष	17865.00		36307296.00	1. स्थापना व्यय	38476377.00	
2000.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	306.00		0.00	(i) वेतन एवं भत्ते	0.00	
	(i) खुदरा रोकड़			1582328.00	(ii) मजदूरी	1736286.00	
26148214.46	(iii) बैंक में रोकड़	33509738.46	33527909.46		भुगतान (सुरक्षा एवं रख रखाव)		
0.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान	0.00		0.00	(iv) मृत्यु सह सूचानियुक्ति उपादान	672037.00	
	3. आयों की प्राप्ति			0.00	(v) अवकाश वेतन का भुगतान	0.00	
	(i) निवेश से प्राप्ति				(vi) यात्रा व्यय		
176765158.00	(क) निवेश का नगदीकरण	245000000.00		428188.00	(अ) देशीय यात्रा	2250.00	
12237079.00	(ख) निवेश पर ब्याज	24819639.00		51488.00	(ब) विदेश यात्रा	0.00	
61769.00	(ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली	105815.00		0.00	(स) अवकाश यात्रा रियायत	454681.00	
	(iii) अन्य प्राप्ति	0		2500.00	(vi) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	6500.00	
0.00	(क) वर्तन			984490.00	(viii) शिकिन्सा प्रतिपूर्ति	1353255.00	
66887158.00	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार	68268329.00		7000.00	(ix) अधिलामाश	7000.00	
2329369.00	(ग) बैंक में रोकड़ पर ब्याज	2822538.00		2284587.00	(x) अन्य स्थापना व्यय (विद्युत लोकपाल कार्यालय)	2425307.00	45133693.00
0.00	(घ) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	0.00			2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		
	(ङ) विविध प्राप्ति			0.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	0.00	
392100.00	(i) बयाना राशि	207000.00		303479.00	(ii) दूरभाष एवं फ़ैक्स व्यय	320326.00	
11070.00	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)	36180.00		300.00	(iii) किराया दर एवं कर	0.00	
6423843.00	(iii) प्रेषण प्राप्ति	6283782.12		2443751.150	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	11095948.80	
1837522.00	(iv) नदीन अंपदायी पेंशन योजना (कर्मचारी का अंशदान)	1924313.00		500.00	(v) वैधानिक व्यय	0.00	
5300.00	(v) निविदा प्रपत्र की विक्री	3300.00		38156.00	(vi) जी.आई.एस. अचदान प्रीमियम	0.00	
27306.00	(vi) स्टॉफ कार वसूली	32258.00		5159760.00	(vii) जी.आई.एस. अचदान प्रीमियम	0.00	11416274.80
0.00	(vii) गृह किराया वसूली	0.00		0.00	3. पूंजीगत व्यय		931650.00
25000.00	(viii) प्रकाशन का विक्रय	3200.00		297000.00	4. प्रतिभूति निक्षेप (संकायों को भुगतान)		9108.00
1519.00	(ix) अन्य विविध प्राप्ति	1160.00		6610621.50	5. बयाना राशि की वापसी		248400.00
1837023.00	(x) विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञापितारी से प्राप्त	2483880.00			6. प्रेषण भुगतान		6202309.12
93250.00	(xi) आयकर प्राप्य	116460.00		29000.00	7. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)		
600.00	(xii) प्रमुख यात्रिका पुस्तिका का विक्रय	0.00	352107854.12	13615.00	(i) अग्रिम	45500.00	
				63200.00	(ii) यात्रा अग्रिम	1955.00	
					(iii) त्यौहार अग्रिम	80000.00	127455.00
					8. अतिम शेष		
				17865.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	17730.00	
				306.00	(ii) खुदरा रोकड़	306.00	
				33509738.46	(iii) बैंक में रोकड़	55082580.66	55100616.66
				2150.00	9. एन्टीबायर्स साफ्टवेयर		1650.00
				1838000.00	10. पी.डब्ल्यू.डी को अग्रिम		0.00
				785786.00	11. एन.आई.सी. सचिव को अग्रिम		616837.00
				1593000.00	12. आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम		0.00
				17500000.00	13. बैंक स्थायी निवेश		261999730.00
				3675604.00	14. सी.पी.एस. निधि का भुगतान		3848040.00
				80406.00	15. पुराने धनादेश का भुगतान		0.00
295103875.46			385635763.58	295103875.46			385635763.58

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रारूप-3

(देखिये नियम 8)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2020 से 31.3.2021)

गत वर्ष (₹)	व्यय	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	आय	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
	A. (1) स्थापना व्यय		(सारणी-3)				
36448757.00	I वेतन एवं भत्ता	38552212.00		0.00	1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	0.00	
0.00	II मजदूरी	0.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान	0.00	
1837522.00	III अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	1923753.00			घटायें: पूंजीकृत राशि	0.00	
0.00	IV सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	0.00			शुद्ध योग:		0.00
0.00	V मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान	672037.00		13947892.00	2. निवेश पर ब्याज		16240634.00
1019202.00	VI अवकाश नगदीकरण	627810.00	41775812.00	0.00	3. अग्रिम पर ब्याज		0.00
1630981.00	2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं भवन रक्षण)		1882557.00	2329369.00	4. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		2822538.00
	3. यात्रा व्यय			0.00	5. सुरक्षा निधि पर ब्याज		0.00
29448.00	i. विदेश यात्रा	0.00		66718147.00	6. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		67268325.00
430238.00	ii. देशीय यात्रा	200.00			7. विविध प्राप्तियां		
0.00	iii. अवकाश यात्रा रियायत	454681.00	454881.00	0.00	(क) सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ	0	
2500.00	4. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)		6500.00	5300.00	(ख) निविदा प्रपत्र की बिक्री	3300.00	
0.00	5. ओवर टाईम भत्ता		0.00	27306.00	(ग) स्टॉक कार वसूली	32258.00	
1040924.00	6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति		1338482.00	25000.00	(घ) प्रकाशन का विक्रय	3200.00	
7000.00	7. अधिभार		7000.00	1519.00	(ङ) अन्य विविध प्राप्तियाँ	1160.00	39918.00
0.00	8. अन्य स्थापना व्यय		0.00				
500.00	9. वैधानिक व्यय		0.00				
31502.00	10. सम्पत्ति के विक्रय पर हानि		0.00				
45342.00	11. जीआईएस. अंशदान प्रीमियम		0.00				
	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय						
0.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	0.00					
304247.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	321681.00					
300.00	(iii) किराया, दर एवं कर	0.00					
25388468.78	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	8312961.52					
2150.00	(v) साफ्टवेयर के लागत में कमी	1650.00	8636292.52				
	ग. अक्षयण		1755652.00				
114507.00	ग. आय का व्यय पर आधिव्यय		30514238.48				
13689944.22	ङ. योग		86371415.00	83054533.00	योग		86371415.00
83054533.00							

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

(सारणी-ज)

(देखिये नियम 5)

स्थापना व्यय 31 मार्च 2021

(1.4.2020 से 31.3.2021)

राशि (₹)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (₹)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	वेतन एवं भत्ते	8377740.00	16825362.00	13349110.00	38552212.00
(II)	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00
(III)	पेंशन अंशदान	0.00	931714.00	992039.00	1923753.00
(IV)	सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
(V)	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	0.00	322578.00	349459.00	672037.00
(VI)	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	627810.00	0.00	0.00	627810.00
	योग	9005550.00	18079654.00	14690608.00	41775812.00

(सारणी-य)

(देखिये नियम 5)

यात्रा व्यय 31 मार्च 2021

(1.4.2020 से 31.3.2021)

राशि (₹)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (₹)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	देशीय यात्रा	0.00	200.00	0.00	200.00
(II)	विदेश यात्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
(III)	अवकाश यात्रा रियायत	454681.00	0.00	0.00	454681.00
	योग	454681.00	200.00	0.00	454881.00

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(1.4.2020 से 31.3.2021)

राशि (₹)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता) ₹	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान खाता) ₹
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित 01.04.2020 को	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में हस्तांतरित 31.03.2021 को	
1	2	3	4	5	6
1	विज्ञापन एवं प्रचार	738169.00	1771493.00	500000.00	2009662.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार देय	200000.00	0.00	200000.00	0.00
3	बैंक शुल्क	2145.80	0.00	0.00	2145.80
4	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	69119.00	0.00	0.00	69119.00
5	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	8280.00	0.00	0.00	8280.00
6	सलाहकारिता शुल्क	1104750.00	0.00	-1115250.00	2220000.00
7	विद्युत एवं पानी खर्च	404945.72	-136925.72	0.00	268020.00
8	अधिवक्ता शुल्क	441100.00	550017.00	0.00	991117.00
9	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	33518.00	0.00	0.00	33518.00
10	भाड़ा (आटो रिकशा)	191213.00	15399.00	17060.00	189552.00
11	भाड़ा (कार)	653347.00	36983.00	77873.00	612457.00
12	प्रशिक्षण व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
13	विद्युत रखरखाव	257564.00	19470.00	38940.00	238094.00
14	उपस्कर एवं जुड़नार (मरम्मत एवं रखरखाव)	5980.00	0.00	0.00	5980.00
15	उद्यान रखरखाव व्यय	873258.00	-476104.00	24692.00	372462.00
16	यात्रा व्यय (साक्षात्कार हेतु)	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अतिथि सत्कार व्यय	7586.00	0.00	0.00	7586.00
18	पोशाक/गणवेश व्यय	0.00	920.00	0.00	920.00
19	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता	5232.00	3629.00	0.00	8861.00
20	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	246019.00		16650.00	229369.00
21	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	472000.00	0.00	0.00	472000.00
22	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	100000.00	0.00	0.00	100000.00
23	सदस्यता शुल्क व्यय (SAFIR)	0.00	0.00	0.00	0.00
24	सदस्यता शुल्क व्यय (CBIP)	0.00	0.00	0.00	0.00
25	सदस्यता शुल्क व्यय (IIT Kanpur)	354000.00			354000.00
26	विविध कार्यालय व्यय	882019.00	16020.00	1137.00	896902.00
27	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	15212.00	1435.00	1565.00	15082.00
28	पेट्रोल/तेल एवं चिकनाई	352900.00	0.00	0.00	352900.00
29	डाक एवं तार व्यय	22751.00	0.00	0.00	22751.00
30	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	236178.00	0.00	26936.00	209242.00
31	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय	37675.00	1680.00	0.00	39355.00
32	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	4440.00	0.00	0.00	4440.00
33	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष एवं सदस्य)	279517.00	-40348.00	-29934.00	269103.00
34	चिकित्सा परामर्श शुल्क	2880.00	5040.00	0.00	7920.00
35	चिकित्सा व्यय	49615.00	0.00	0.00	49615.00
36	कर्मचारी प्रोत्साहन व्यय	230000.00	0.00	0.00	230000.00
37	अनुवाद व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
38	भवन (सुधार एवं रखरखाव)	-800775.00	805532.00	0.00	4757.00
39	सभा व्यय	67903.00	0.00	0.00	67903.00
40	अन्य प्रशासनिक व्यय	751784.00	44747.00	76331.00	720200.00
41	जल व्यय	12636.00	0.00	0.00	12636.00
42	सोलार ऊर्जा (सुधार एवं रखरखाव)	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	8312961.52	2618987.28	-164000.00	11095948.80

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप-4

(देखिये नियम 8)

तुलन पत्र 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2020 से 31.3.2021)

गत वर्ष (₹)	दायित्व	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	आस्तियों	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
323259575.68	सी.एस.ई.आर.सी. (निधि का गठन एवं निधि की लिति) नियम 2007 (सारणी-1)			52024436.00	स्थायी आस्तियाः सकल योग	78872010.00	
	प्रारंभिक शेष	282633734.68					
	जोड़िये: पूर्वगामी अवधि	0.00					
	योग	282633734.68					
	जोड़िये: आय का व्यय पर आधिक्य	30514238.48		0.00	घटाईये: अवक्षयण शुद्ध योग	28994474.00	49877536.00
	योग	313147973.16			क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)	0.00	0.00
	जोड़िये: एम.एन.आर.ई. से सहायता अनुदान	4352055.00		26913893.01	निवेश		0.00
	घटाईये: अवक्षयण	700000.00		105815.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम		278124415.01
	जोड़िये: छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान	36561446.00		156170.00	निक्षेप		127455.00
	घटाईये: अवक्षयण	1002441.00		352359033.16	0.00		156170.00
	योग				मविष्य निधि		0.00
	ऋणः				विविध देनदार		174379.00
	घातु दायित्व एवं प्राक्धानः				अनुदान प्राय		0.00
-9475.50	प्रेषण			71997.50	अंतिम शेषः		
-560.00	मविष्य निधि			-534.00	हस्तस्थ सेकड		18036.00
36167058.01	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व			35993632.01	बैंक में सेकड		55082580.66
0.00	उपादान हेतु प्राक्धान (समस्त कर्मचारियों के लिए)			0.00	लेखाओं पर टिप्पणीयों		0.00
					जी.आई.एस. (पूर्वदत्त)		0.00
					मोटर कार बीमा (पूर्वदत्त)		29934.00
					पी.डब्ल्यू.डी को अग्रिम		1838000.00
					एन.आई.सी सर्विस को अग्रिम		1402623.00
					आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम		1593000.00
359416598.19	योग			388424128.67	योग		388424128.67

टिपः 1 राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्राक्धानानुसार अधिलामांष भुगतान का प्राक्धान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्राक्धान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रु.50000/-, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.25000/- आकलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-1

(देखिये फार्म प्ट)

पूँजी निधी 31 मार्च 2021

(1.4.2020 से 31.3.2021)

राशि (₹)						
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	कार्यालय भवन	33729816.00	0.00	33729816.00	633595.00	33096221.00
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	2265419.00	805532.00	3070951.00	461922.00	2609029.00
(iv)	वातानुकूलित	926588.00	46060.00	972648.00	74164.00	898484.00
(v)	गणक यंत्र	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00
(vi)	आंकड़ा संसाधन यंत्र	296820.00	0.00	296820.00	0.00	296820.00
(vii)	विद्युत उपकरण	158398.00	0.00	158398.00	28000.00	130398.00
(viii)	अग्नि शमन उपकरण	15447.00	0.00	15447.00	5836.00	9611.00
(ix)	यंत्र एवं उपकरण	3937473.00	79556.00	4017029.00	265913.00	3751116.00
(x)	भू-सज्जा एवं उद्यान	444928.00	-444928.00	0.00	0.00	0.00
(xi)	सूचना एवं प्रौद्योगिकिय	578153.00	885590.00	1463743.00	481151.00	982592.00
(xii)	सौर ऊर्जा संयंत्र	6769834.00	0.00	6769834.00	1088885.00	5680949.00
(xiii)	मोटर गाडी	2901551.00	0.00	2901551.00	479244.00	2422307.00
(xi)	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xiii)	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	1650.00	1650.00	1650.00	0.00
(xiv)	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xv)	पुस्तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xvi)	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	36561446.00	0.00	36561446.00	1002441.00	35559005.00
(xvii)	एम.एन.आर.ई से सहायता अनुदान (सौर ऊर्जा संयंत्र)	4352055.00	0.00	4352055.00	700000.00	3652055.00
	निवल चालू आस्तियाँ	230321638.68	32948798.48	263270437.16	0.00	263270437.16
		323259575.68	34322258.48	357581834.16	5222801.00	352359033.16

सारणी-2

(देखिये फार्म IV)

प्रेषण 31 मार्च 2021

(1.4.2020 से 31.3.2021)

राशि (₹)						
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना + सामान्य भविष्य निधि)	0.00	359084.0	359084.0	359084.0	0.00
(ii)	अनुज्ञप्ति शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	आयकर	-26902.00	5463276.00	5436374.00	5393156.00	43218.00
(iv)	वस्तु एवं सेवा कर	2859.00	87789.00	90648.00	76456.00	14192.00
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	गृह किराया वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	14567.50	373633.12	388200.62	373613.12	14587.50
		-9475.50	6283782.12	6274306.62	6202309.12	71997.50

सारणी-3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2021

(अंशदायी पेंशन योजना)

(1.4.2020 से 31.3.2021)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	अभिदान	निरंक	
3	अग्रिम की वसूली	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	
	योग		निरंक
	घटायें: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश		
	शेष:		
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष		
	(i) कर्मचारी अंशदान	1923753.00	
	(ii) नियोक्ता अंशदान	1923753.00	
3	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	
	घटायें: कुल भुगतान		3847506.00
	योग		3848040.00
			-534.00

सारणी-4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2021

(1.4.2020 से 31.3.2021)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	राशि (₹)	
					पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतिभूति निक्षेप	292737.00	36180.00	0.00	9108.00	319809.00
2	बयाना राशि जमा	511626.00	207000.00	0.00	249600.00	469026.00
3	विविध लेनदार	18726.00	1000004.00	0.00	0.00	1018730.00
4	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
1	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	1771493.00	500000.00	1771493.00	0.00	500000.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार (देय)	160000.00	200000.00	0.00	0.00	360000.00
3	छ.ग. गृह निर्माण मंडल (देय)	3129961.00	0.00	0.00	0.00	3129961.00
4	क्रेडा, रायपुर (देय)	5585495.00	0.00	0.00	0.00	5585495.00
5	सलाहकारिता शुल्क (देय)	2400000.00	-1115250.00	0.00	0.00	1284750.00
6	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	192701.00	194452.00	0.00	192701.00	194452.00
7	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	69315.00	0.00	69315.00	0.00	0.00
8	अधिवक्ता शुल्क (देय)	550017.00	0.00	550017.00	0.00	0.00
9	भाड़ा (आटो रिक्शा) देय	15399.00	17060.00	15399.00	0.00	17060.00
10	भाड़ा (कार) देय	36983.00	77873.00	36983.00	0.00	77873.00
11	उद्यान रखरखाव व्यय (देय)	29441.00	24692.00	29441.00	0.00	24692.00
12	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स लागत (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता (देय)	3629.00	0.00	3629.00	0.00	0.00
14	वर्दी व्यय	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00
15	अवकाश नगदीकरण (देय)	4924826.00	627810.00	0.00	0.00	5552636.00
16	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण (देय)	0.00	14850.00	0.00	0.00	14850.00
17	यंत्र एवं उपकरण की लागत (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	चिकित्सा सहकारिता शुल्क (देय)	5040.00	0.00	5040.00	0.00	0.00
19	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	16020.00	1137.00	16020.00	0.00	1137.00
20	विद्युत रखरखाव (देय)	19470.00	38940.00	19470.00	0.00	38940.00
21	अखबार/पत्र व्यय (देय)	1435.00	1565.00	1435.00	0.00	1565.00
22	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म (देय)	0.00	26936.00	0.00	0.00	26936.00
23	वेतन एवं भत्ते (देय)	3003541.00	3079376.00	3003541.00	0.00	3079376.00
24	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	237234.00	383505.00	237234.00	0.00	383505.00
25	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)	37050.00	0.00	0.00	0.00	37050.00
26	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय (देय)	1680.00	0.00	1680.00	0.00	0.00
27	दूरभाष एवं फ़ैक्स व्यय (देय)	12387.00	13742.00	12387.00	0.00	13742.00
28	यात्रा भत्ता (देय)	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00
29	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (देय)	276563.00	0.00	14773.00	0.00	261790.00
30	अन्य प्रशासनिक व्यय (देय)	44747.00	76331.00	44747.00	0.00	76331.00
31	विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त	93782.00	2488259.00	0.00	2427058.00	154983.00
32	वितरण कंपनी को (देय)	12722790.01	564797.00	0.00	0.00	13287587.01
33	पी.डब्ल्यू.डी (देय)	0.00	79556.00	0.00	0.00	79556.00
34	बालाजी कम्प्यूटेक प्रा.लि (देय)	0.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00
	योग	36167058.01	8540615.00	5835574.00	2878467.00	35993632.01

सारणी-5

(देखिये फार्म IV)

उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2021

(1.4.2020 से 31.3.2021)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
1	प्रारंभिक शेष	0.00	
2	चालु वर्ष में प्रावधान	0.00	
	योग:	0.00	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान	0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	0.00
	शुद्ध शेष		0.00

सारणी-क

(देखिये फार्म IV)

स्थायी आस्तियों 31 मार्च 2021

(1-4-2020 से 31-3-2021)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण				राशि (₹)	
		प्रारम्भिक	जोड़िये	निपटान	योग		प्रारम्भिक शेष 01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	निपटान	अंतिम शेष 31 मार्च 2021 को	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	भूमि (छ.ग. शासन से नि:शुल्क प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	भवन	40100961.00	0.00	0.00	40100961.00	1.58%	6371145.00	633595.00	0.00	7004740.00	33729816.00	33096221.00
3	उपकरण एवं जुड़नार	4310545.00	805532.00	0.00	5116077.00	9.50%	2045126.00	461922.00	0.00	2507048.00	2265419.00	2609029.00
4	वातानुकूलित	1962758.00	46060.00	0.00	2008818.00	6.33%	1036170.00	74164.00	0.00	1110334.00	926588.00	898484.00
5	गणक यंत्र	180.00	0.00	0.00	180.00	6.33%	171.00	0.00	0.00	171.00	9.00	9.00
6	आंकड़ा संसाधन यंत्र	2373682.00	0.00	0.00	2373682.00	40.00%	2076862.00	0.00	0.00	2076862.00	296820.00	296820.00
7	विद्युत उपकरण	2583787.00	0.00	0.00	2583787.00	6.33%	2425389.00	28000.00	0.00	2453389.00	158398.00	130398.00
8	अग्नि शमन उपकरण	116636.00	0.00	0.00	116636.00	6.33%	101189.00	5836.00	0.00	107025.00	15447.00	9611.00
9	यंत्र एवं उपकरण	4297561.00	79556.00	0.00	4377117.00	6.33%	360088.00	265913.00	0.00	626001.00	3937473.00	3751116.00
10	भू-सज्जा एवं उद्यान	505545.00	0.00	505545.00	0.00	1.58%	60617.00	0.00	60617.00	0.00	444928.00	0.00
11	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1719631.00	885590.00	0.00	2605221.00	40.00%	1141478.00	481151.00	0.00	1622629.00	578153.00	982592.00
12	सौर ऊर्जा संयंत्र	15555495.00	0.00	0.00	15555495.00	7.00%	8785661.00	1088885.00	0.00	9874546.00	6769834.00	5680949.00
13	मोटर गाड़ी	4034036.00	0.00	0.00	4034036.00	11.88%	1132485.00	479244.00	0.00	1611729.00	2901551.00	2422307.00
14	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	अन्य सम्पत्तियां (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	सकल योग (1) से (15)	77560817.00	1816738.00	505545.00	78872010.00		25536381.00	3518710.00	60617.00	28994474.00	52024436.00	49877536.00
17	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	1650.00	1650.00	0.00		0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पुस्तक	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	पूँजी क्रियमाण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	महा योग (16+18)	77560817.00	1818388.00	507195.00	78872010.00		25536381.00	3520360.00	60617.00	28994474.00	52024436.00	49877536.00
22	गत वर्ष	72060516.00	5536221.00	35920.00	77560817.00		22581256.00	2959543.00	2268.00	25538531.00	49479260.00	52024436.00

टीप:

* आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मूल्य हास दर को स्वीकृत करते हुए मानक लेखांकन -VI का पालन किया गया है।

** सोलार पावर प्लान्ट पर आर.ई. विनियम के आधार पर हास दर /7% कि दर से 10 वर्ष तक एवं इसके उपरान्त 1.33% की दर से अपलिखित किया जायेगा।

सारणी-ख

(देखिये फार्म IV)

निवेश 31 मार्च 2021

(1.4.2020 से 31.3.2021)

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
1	बैंक में स्थायी जमा i. प्रारम्भिक शेष ii. किया गया निवेश iii. निवेश का नगदीकरण iv. अंतिम शेष	252294381.00 261999730.00 245000000.00 योग	269294111.00 269294111.00
2	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेशअन्य प्रतिभूति (विनिर्दिष्ट करें) (a) प्रारम्भिक शेष (b) किया गया निवेश (c) निवेश का नगदीकरण (d) अंतिम शेष		
3	बैंकों के नाम लिखें i. राशि का विवरण: ii. जमा की तारीख: iii. जमा की समयावधि: iv. देय तिथि: v. ब्याज दर: vi. ब्याज:	एच.डी.एफ.सी. बैंक 81999730.00 07.09.2020 2 वर्ष 06.09.2023 5.15% 2381990.00 एच.डी.एफ.सी. बैंक 80000000.00 06.06.2020 1 वर्ष 05.06.2021 5.60% 3665820.00 पंजाब नेशनल बैंक 100000000.00 13.01.2021 2 वर्ष 12.01.2023 5.20% 1098848.00 पंजाब नेशनल बैंक 4094381.00 02.01.2019 1 वर्ष 02.01.2021 6.75% 625764.00 यश बैंक 3200000.00 23.02.2017 1 वर्ष 23.02.2021 7.10% 1057882.01 योग	269294111.00 269294111.00
	कुल योग (1+2+3)	278124415.01	278124415.01

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ग

(देखिये फार्म IV)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2021

(1-4-2020 से 31-3-2021)

राशि (₹)					
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
अ	आकस्मिक अग्रिम				
(अ)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम				
(ब)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम				
(स)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम				
(द)	अन्य अग्रिम				
	उप-योग				
ब	कर्मचारियों को अग्रिम				
(अ)	अनाज अग्रिम	13615.00	0.00	11660.00	1955.00
(ब)	त्यौहार अग्रिम	63200.00	152000.00	135200.00	80000.00
(स)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	29000.00	357285.00	340785.00	45500.00
	उप-योग	105815.00	509285.00	487645.00	127455.00
स	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)				
(अ)	विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	105815.00	509285.00	487645.00	127455.00

सारणी-घ

(देखिये फार्म IV)

निक्षेप 31 मार्च 2021

(1-4-2020 से 31-3-2021)

राशि (₹)					
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
1	प्रतिभूति निक्षेप	156170.00	0.00	0.00	156170.00
2	बयाना राशि निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्य निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	156170.00	0.00	0.00	156170.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ड

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2021

(1-4-2020 से 31-3-2021)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
अ	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि प्रारंभिक शेष (बैंक में) जोड़िये: चालू वर्ष में किये गये निवेश	0.00	0.00
		0.00	
		0.00	
	घटाईये: निवेश का नगदीकरण		
ब	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग	0.00	0.00

सारणी-च

(देखिये फार्म IV)

विविध देनदार 31 मार्च 2021

(1-4-2020 से 31-3-2021)

		राशि (₹)			
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
अ	ग्रीन एनर्जी से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
ब	रामेश्वरम स्टील एंड पावर से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
स	छ.ग.रा.वि.वि.कं. मर्या. से प्राप्य	206240.72	164645.28	200886.00	170000.00
द	विद्युत लोकपाल कार्यालय के खर्चों का भिलाई स्टील पलान्ट से प्राप्य	0.00	4379.00	0.00	4379.00
ई	अनुज्ञप्ति शुल्क अंतर की राशि भिलाई स्टील पलान्ट से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
फ	आयकर प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	206240.72	169024.28	200886.00	174379.00

सारणी-छ

(देखिये फार्म IV)

अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2021

(1-4-2020 से 31-3-2021)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
अ	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान प्रारंभिक शेष जोड़िये: चालू वर्ष में किये गये दावे	0.00	0.00
		0.00	
	घटाईये: चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	0.00	
		0.00	
	योग	0.00	0.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ज

(देखिये फार्म IV)

हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2021

(1-4-2020 से 31-3-2021)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)
अ	वेतन	0.00
ब	यात्रा भत्ता	0.00
स	आकस्मिक	0.00
द	कार्यालय व्यय	17730.00
ई	अन्य (विद्युत लोकपाल खुदरा रोकड़)	306.00
	योग	18036.00

सारणी-झ

(देखिये फार्म IV)

बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2021

(1-4-2020 से 31-3-2021)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)
अ	पंजाब नैषनल बैंक, रायपुर	36009476.60
ब	आई.डी.बी.आई बैंक, रायपुर	6570023.00
स	केनरा बैंक, रायपुर	2091189.00
द	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर	625412.06
ई	एच.डी.एफ.सी. बैंक	9786480.00
	योग	55082580.66

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -र

(देखिये नियम 3)

दिनांक 31.3.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी

(1.4.2020 से 31.3.2021)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ-वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किये जाने योग्य।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :-

1. प्रारंभिक शेष आयोग प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दिनांक 31 मार्च 2020 के अंकेक्षित तुलन पत्र के आधार पर लिया गया है।
2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा ऐतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
3. आयोग के लेखाओं का लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन पद्धति के आधार पर किया गया है।
4. समस्त अनुदानों का लेखा मानक लेखांकन 12 के अनुसार किया गया है।
5. स्थायी आस्तियों का मूल्य, लागत मूल्य में दर्शाया गया है।
6. आयोग द्वारा मूल्यहास की दर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से परिकलित किया गया है। इसके अलावा संगणक यंत्र, सूचना एवं प्रौद्योगिकिय, मोबाईल एवं अन्य हेतु योजना विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 1458 दिनांक 24.07.2015 के द्वारा जारी वित्तीय परिपत्र क्रमांक 39/2014 के आधार पर 40% घटती किस्त पद्धति को आयोग द्वारा अपनाया गया है।
7. आयोग की आय एवं सम्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के द्वारा संघीय करारोपण से विमुक्त रखा गया है।
8. राज्य शासन द्वारा आयोग को कार्यालय भवन हेतु 2400 वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया है।
9. जीवन बीमा निगम द्वारा की गई गणना के आधार पर मृत्यु सःह सेवानिवृत्ति उपादान हेतु 31 मार्च 2021 को रु.7738981/- का संचय किया गया है।
10. बैंक सावधी जमा पर ब्याज, बैंक द्वारा जारी अर्जित ब्याज प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया गया है।
11. राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभाष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रु. 50000/-, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु. 25000/- आकलित किया गया है।
12. छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा रु.4.01 करोड़ में आयोग भवन का निर्माण किया गया जिसे आयोग द्वारा सकल राशि को पूंजीकृत किया गया है। परन्तु भवन निर्माण प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया गया है आयोग द्वारा भवन का उपयोग किया जा रहा है अतः पूंजीकृत राशि पर ही अवक्षयण लगाया जा रहा है।

13. अपील नं. 339/2016 जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं रियल पॉवर प्रा. लिमि. एवं अन्य जिनमे माननीय एपटेल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक प्रकरण का अंतिम निर्णय न हो तब तक विवादित देयक राशि रु. 32 लाख आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जमा किया जावेगा। साथ ही माननीय एपटेल द्वारा आयोग को यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त राशि को सावधि जमा कर निर्णयोपरांत ब्याज सहित वापस किया जाएगा।
14. अपील क्र.256/2018 के अनुपालन जिसमें माननीय एपटेल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार “आवेदक द्वारा रु.4094381/- राज्य आयोग के पास जमा किया जायेगा जिसे राज्य आयोग द्वारा किसी भी राष्ट्रयकृत बैंक में सावधि जमा किया जायेगा तथा राज्य आयोग द्वारा समय समय पर सावधि जमा का नवीनीकरण करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं नये अपील होने पर निपटान किया जायेगा”। जिसके तारतम्य में आयोग द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया गया है जब तक कि माननीय एपटेल द्वारा निर्णय नहीं हो जाता।

लेखाधिकारी

सचिव